उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधिकार में

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13895

==========

1. गौरी शंकर शर्मा पिता बिंदेश्वर सिंह ग्राम निवासी- मायापुर, थाना वजीरगंज, जिला-गया।
2. अनुज कुमार सिंह पिता सुरेश प्रसाद सिंह ग्राम निवासी- दुधका गाछी, पोस्ट एवं थाना - सोनपुर, जिला- सारण।
3. संतोष कुमार यादव पिता स्वर्गीय हीरालाल यादव निवासी ग्राम- लक्ष्मीपुर, पोस्ट -बलिवान सागर, थाना -बिसम्बरपुर, जिला-गोपालगंज।
4. जगत पासवान पिता स्वर्गीय राजाराम पासवान निवासी ग्राम व पोस्ट-श्रीचंदपुर, थाना-नेउरा (बिहटा), जिला-पटना।
5. रंजन कुमार पिता श्री दूध नाथ प्रसाद ग्राम निवासी- घेघटा, पोस्ट- गोविंद चक, थाना- सोनपुर, जिला- सारण, छपरा।
6. असलम अली पिता मो. कलाम निवासी ग्राम-पांच पटिया, पोस्ट-देवरिया, थाना- अवतार नगर, जिला- सारण, छपरा।
7. पंकज कुमार पिता जलधर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम सखुआ, पोस्ट- महेशपुर, थाना -सनुलाहा, जिला-भागलपुर।
8. संजय कुमार सिंह पिता कामेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम निवासी-मालडीह, पोस्ट- करंजा, थाना- शंभूगंज, जिला- बांका।
9. तुफनी प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय प्रसादी यादव ग्राम निवासी-प्रवाचक, पोस्ट -तेलियानोगाय, थाना -फुल्लीडुमर, जिला-बांका।
10. श्रवण कुमार पिता शिवन प्रजापति निवासी ग्राम-नानुक, पो.-बिजुबिगहा, थाना- बुनियादगंज, जिला-गया।
11. कृष्णा भारती पिता रामानंद प्रसाद मेहता निवासी गांव और पोस्ट- मेहंदीपुर,थाना- परसहा, जिला-खगड़िया।
12. देव शंकर प्रसाद पिता महाबीर प्रसाद निवासी ग्राम-शिवालापुर, पोस्ट-नेउरा, थाना -शाहपुर, जिला-पटना।
13. संजीत कुमार सिंह पिता स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी ग्राम व पो0 जमनपुरा, थाना-दाउदपुर, जिला-सारण।
14. प्रवेश कुमार, पिता सुमन प्रसाद, निवासी ग्राम व पो0-चपाल,थाना- रंगरा (गोपालपुर), जिला-भागलपुर।
15. भागेश्वर कुमार, पिता स्वर्गीय मिश्रीलाल यादव, ग्राम निवासी एवं पोस्ट -गढ़िया, थाना -बंगाव, जिला-सहरसा।

16. मुकेश कुमार पिता श्री बालम प्रसाद, निवासी ग्राम-गोलपुर, पो0- मघरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा।
17. पारस राय, स्वर्गीय सकलदीप राय के पुत्र, निवासी ग्राम-डुमारी, पो0- कनार हरियारपुर, थाना-खेरा, जिला-सारण
18. राजेश कुमार पिता स्वर्गीय लक्ष्मण राम, निवासी ग्राम व पो0- कुरकुरी, थाना-पालीगंज, जिला-गया।
19. राधेश्याम प्रसाद, पिता स्व.मुन्नालाल प्रसाद, निवासी ग्राम-पकड़िहार, पोस्ट-लक्ष्मीपुर, थाना-जोगापट्टी सानिचिरी, जिला-पश्चिमी चम्पारण।
20. धर्मेंद्र प्रसाद यादव पिता टीमल प्रसाद यादव निवासी ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट- सैदपुर, थाना -शिकारपुर, जिला-पश्चिमी चंपारण।
21. जयराम कुमार पिता रामपरवेश सिंह , निवासी ग्राम-कसवा, पो0- मंझौली, थाना-सलीमपुर, जिला-पटना।
22. ब्रजेश कुमार सिंह पिता श्री रामावतार सिंह निवासी ग्राम -बीलवार, पोस्ट -निखतीकला, थाना -रघुनाथपुर, जिला-सीवान।
23. राजा राम कुमार, पिता देवलाल यादव, निवासी ग्राम व पोस्ट -सोंधी, थाना-बुनियादगंज, सोंधी, जिला-गया।
24. आज़ाद कुमार, पिता स्वर्गीय राज कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट-बराड़ा, थाना + जिला-नालंदा
25. अनुज कुमार, पिता राम प्रवेश सिंह, निवासी ग्राम-कस्वा, पोस्ट- मंझौली, थाना-सलीमपुर, जिला-पटना।
26. वीरेन्द्र सिंह, पिता श्रीभगवान सिंह, निवासी ग्राम-जादोपुर पोस्ट -महुअन, थाना -जिला-भोजपुर।
27. पवन कुमार पिता- नवल किशोर ठाकुर निवासी ग्राम व पोस्ट- बानूछापर, थाना-मुफस्सिल, जिला-पश्चिमी चम्पारण।
28. हजरत अंसारी, पिता साबिर अंसारी, निवासी ग्राम-ग्यासपुर लेवारी, पो0-ग्यासपुर, थाना-शिसवां, जिला-सीवान।
29. गौरी शंकर पासवान, पिता रामजी पासवान, निवासी ग्राम व पो0- महुआरी, थाना-सोनहानान, जिला-कैमूर (भभुआ)।
30. सुभाष राम, पिता सुदामा राम निवासी ग्राम व पो.-पेनार, थाना - नोखा, जिला-रोहतास।
31. धर्मेन्द्र कुमार पिता श्री जगदीश सिंह, निवासी ग्राम-रामपुर पोस्ट -अरंडा, थाना -ओबरा, जिला-औरंगाबाद।
32. मनोज कुमार, पिता लाल देव राय, निवासी ग्राम-जेथुई, पो0-औद्योगिक (हाजीपुर), थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।

33. संजय सिंह, पिता सीताराम सिंह, निवासी ग्राम-नवादा, पोस्ट-पुराना भोजपुर, थाना-डुमराव, जिला-बक्सर।
34. रजनीश कुमार, पिता श्री विष्णु साह, निवासी ग्राम व पो0-बरकागाम, थाना-पकरी दयाल, जिला-पूर्वी चंपारण।
35. उमेश कुमार यादव, पिता श्री उपेन्द्र यादव, निवासी ग्राम-सिंघराहा, पोस्ट -भटघाट, थाना -बिस्फी, जिला-मधुबनी।
36. सुनील कुमार, पिता देवप्रित यादव, निवासी ग्राम-छीतर बिगहा, पोस्ट -सिकरिया, थाना-पालीगंज, जिला-पटना (पटना)।
37. धर्मवीर प्रसाद, पिता स्वर्गीय मिश्रीलाल, निवासी ग्राम-झूलन बिगहा, पोस्ट -भटहर, थाना -थरथरी, जिला-नालंदा।
38. रवीन्द्र कुमार, पिता स्व.राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम- भलुयातर, पोस्ट -पुरैनी, थाना -मुफस्सिल, जिला-नवादा।
39. रामजी पांडे, पिता स्वर्गीय श्री राम गणेश पांडे, निवासी ग्राम- गोपभरवली, पोस्ट एवं थाना -सेमारी, जिला-बक्सर।
40. संतोष कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय विनय शंकर सिंह, निवासी ग्राम- शिवनगर, पोस्ट -विशुनपुरा (डुमरिया), थाना -कोईलवर, जिला-भोजपुर।
41. देवेन्द्र कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय राम कुमार सिंह, निवासी ग्राम- नारायणपुर, पोस्ट -नसरतपुर, थाना -संदेश, जिला-भोजपुर।
42. रमेश कुमार पिता-जनार्दन राय, ग्राम-पहलेजा शाहपुर निवासी-दियारा, पोस्ट -बरका फलेजा, थाना -सोनेपुर, जिला-छपरा, सारण।
43. शंकर कुमार सिंह पिता- रवीन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व पो0-छापर, थाना-रंगराचौक, जिला-भागलपुर।
44. सिंहेश्वर मंडल, पिता श्री महेश्वर मंडल, ग्राम निवासी- कांतपुर, पोस्ट -नौवागढ़ी, थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर।
45. मनीष कुमार, पिता नवल किशोर यादव, निवासी ग्राम-संदलपुर, पोस्ट -मुंगेर, थाना -कासेम बाजार, जिला-मुंगेर।
46. संतोष कुमार, पिता हीरा लाल, निवासी ग्राम व थाना-डोमा, थाना- सालिमपुर (बख्तियारपुर), जिला-पटना।
47. रंजीत कुमार सिंह, पिता रामचन्द्र सिंह, निवासी ग्राम- करहारा, पोस्ट -कारा, थाना -जम्हौर, जिला-औरंगाबाद।
48. राजेश कुमार, पिता गमन यादव, निवासी ग्राम- देवरियाजेल, पोस्ट+थाना एवं जिला-जहानाबाद
49. अनुज कुमार पिता बासुदेव प्रसाद सिंह, ग्राम- नौआबाग निवासी पोस्ट एवं थाना -मसारही, जिला-पटना (बिहार)।

50. रवि रंजन राय, पिता सुरेंद्र प्रसाद राय, निवासी ग्राम व पो.-सुन्दरपुर, बरजा, थाना बिहिया, जिला-भोजपुर (आरा), बिहार।
51. शैलेन्द्र कुमार, पिता राम जीवन राय, निवासी ग्राम-दलिश्मनचक, पोस्ट एवं थाना -बाढ़, जिला-पटना।
52. अजय कुमार, पिता श्री भोला नाथ सिंह, निवासी ग्राम-मुंगीला, पो0- शंकरपुर, इमामगंज, थाना-खियोरी मोड़ (पालीगंज), जिला-पटना।
53. संतोष कुमार, पिता स्वर्गीय काशी राम, निवासी ग्राम-नेवाँ, पो0-डिहारी, थाना-पिपरा, जिला-पटना।
54. राज कुमार, पिता सुदेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम व थाना-चिरौरा,थाना -नौबतपुर, जिला-पटना।
55. प्रमोद कुमार पिता-श्री राम चौधरी, निवासी ग्राम व पो0-चुरमानपुर, थाना एवं जिला-बक्सर
56. मुन्ना सिंह पिता राम जीवन सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर,पोस्ट नशरतपुर, थाना -संदेश, जिला-भोजपुर (आरा)।
57. अरविन्द कुमार यादव, पिता गौतम यादव, निवासी ग्राम-मिश्रौली, पोस्ट-भोरे, थाना -भोरे, जिला-गोपालगंज।
58. धर्मेन्द्र कुमार पिता स्व. राम जनम प्रसाद, निवासी ग्राम-कांडगोपी टोला कुकुरभुका, पोस्ट-बुधिया, हथुआ, थाना-मीरगंज, जिला- गोपालगंज।
59. नवनीत कुमार, पिता नन्द किशोर, निवासी ग्राम-अमवाँ, पो0- महजपुर, थाना-बिक्रम, जिला-पटना।
60. विजय कुमार, पिता राम बाबू यादव, निवासी ग्राम-महुआबाग, पो0- सहाय नगर, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना।
61. पंकज कुमार सिंह, पिता बिन्दु भूषण सिंह, निवासी ग्राम- कोशकीपुर, बाघमारा, पोस्ट -ए.जी. बाज़ार, थाना-कुर्सेला, जिला-कटिहार।
62. संतोष कुमार यादव, पिता देवी प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-राजापारा (बिषहरी तल्ला), पोस्ट -पाकर, थाना -पाकुड़, (झारखंड)।
63. कपीश कुमार, पिता स्व.अवध लाल, निवासी ग्राम- मिल्कीचक, पोस्ट- जानकी नगर, थाना-नया राम नगर, जिला-मुंगेर
64. कमलेश, पिता श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम व थाना-मदौश, थाना- सिरारी, जिला-शेखपुरा।
65. संतोष कुमार पिता श्री नागेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम-अदलचक, पोस्ट - हासाडीह, थाना - मसौढ़ी, जिला-पटना।
66. धर्मेन्द्र कुमार, पिता स्वर्गीय लाखन सिंह, निवासी ग्राम व पो0-खुटाहा डीह, थाना-बढ़िया, जिला-लखीसराय।

67. पंकज कुमार, पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम निवासी-सीताकुंड बिहार, पोस्ट -दरियापुर, थाना -मुफस्सिल, जिला-मुंगेर
68. पांडव महतो, पिता श्री आनंदी महतो, निवासी ग्राम-भवानंदपुर,पोस्ट -पानापुर, थाना -पर्वता, जिला-बेगूसराय।
69. सर्वेश कुमार, पिता श्री नारायण राय, निवासी ग्राम व पो0-कवेला, निसरपुरा, थाना-बिहटा, जिला-पटना।
70. अनिल महतो, पिता स्वर्गीय शिवदत्त महतो, निवासी ग्राम-महुआर, पो0-एकबालगंज, निसरपुरा, थाना-बिहटा, जिला-पटना।
71. रीतेश तिवारी पिता श्री नारायण तिवारी, निवासी ग्राम व पो0-बरीशवां, थानाशाहपुर, जिला-भोजपुर (आरा)।
72. शिवबली सिंह, पिता श्री नन्दकिशोर सिंह, निवासी ग्राम-छोटकी हरदिया, पोस्ट-हरदिया, थाना -जगधपुर, जिला-भोजपुर (आरा)।
73. धर्मेन्द्र प्रसाद पिता-विश्वनाथ राम , निवासी ग्राम व पो0-कजहिन, थाना-बिक्रमगज, जिला-रोहतास।
74. अजय कुमार सिंह, पिता श्री रामगणेश सिंह, ग्रामवासी पोस्ट -जमौली, थाना -राजपुर, जिला-बक्सर।
75. तालिब हुसैन खान, पिता अब्दुल मतलिब खान, निवासी ग्राम व पो.-लहवार, थाना-केओतिरनवे, जिला-दरभंगा।
76. पंकज कुमार सिंह पिता हरिनारायण सिंह, निवासी - चमरहरा, पोस्ट एवं थाना - महनार (आर.एस.), जिला-वैशाली
77. विनोद कुमार सिंह पिता देवदत प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट एवं थाना -सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर।
78. अशोक कुमार सिंह, पिता सिंघेश्वर सिंह, निवासी ग्राम-कसमा,पोस्ट -कसमा मरार, थाना -खजौली, जिला-मधुबनी
79. हीरामन यादव पिता स्वर्गीय रामस्वरूप यादव, निवासी ग्राम-सलैया कला टोला राजा राम चक, पो. एवं थाना -फतेहपुर, जिला-गया।
80. दिलीप कुमार, पिता शंभू नाथ सिंह, निवासी ग्राम-नया रामपुर,पोस्ट- शेरपुर, थाना-मनेर, जिला-पटना।
81. कुश कुमार, पिता भरत राय, निवासी ग्राम व पोस्ट-नोनहर, थाना- सूरजपुरा, जिला-रोहतास।
82. पिंटू कुमार, पिता लखन साह, निवासी बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, जनता फ्लैट, ई-आर-222, पोस्ट -टीवी टावर, बीएचसी, थाना -अगमकुआं, जिला-पटना।

83. बिपिन कुमार, पिता श्री परमेश्वर यादव, निवासी ग्राम-बिश्वम्भर चक, थाना-अमरपुर, जिला-बांका
84. सुनील कुमार यादव, पिता महेंद्र प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-सिहुरी, थाना-अमरपुर, जिला-बांका।
85. संजीव कुमार, पिता सिंघीवार मेहता, निवासी ग्राम व पो.-ससुराई, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णिया।
86. कौशर अली पिता इस्लाम अहमद निवासी ग्राम व पो0 व थाना-चैनपुर (कसबा), जिला-कैमूर, भभुआ।
87. सूरज कुमार लिम्बू पिता वीर कुमार लिम्बू, निवासी ग्राम- पुलिस लाइन, पोस्ट एवं थाना -के.हाट, जिला-पूर्णिया।
88. संजीव कुमार जयसवाल, पिता नरेश जयसवाल, निवासी ग्राम- परबत्ता,थाना-इस्माइलपुर, जिला-भागलपुर।
89. संजय कुमार पिता विश्वनाथ सिंह, निवासी मुहल्ला-राजीव नगर,रोड नंबर 6, पोस्ट एवं थाना- जिला-पटना
90. सत्येन्द्र कुमार, पिता रामसरेख राम, निवासी ग्राम व पो0-बौरही, थाना-धनरुआ, जिला-पटना।
91. अर्जुन कुमार पिता स्वर्गीय रामाधार सिंह, निवासी ग्राम व पो.-बौरही, थाना धनरुआ, जिला-पटना।
92. रविकांत कुमार पिता श्याम सुंदर प्रसाद, निवासी ग्राम व पो0 एवं थाना-गिरियक, जिला-नालंदा।
93. कृष्णा प्रसाद पिता यदुनंदन प्रसाद, निवासी-ग्राम-दीना बिगहा पोस्ट -इचाहोस, थाना -इस्लामपुर, जिला-नालंदा।
94. संतोष कुमार पिता रामएकबाल सिंह, निवासी ग्राम-यमुनापुर,पोस्ट -अमहरा, थाना -बिहटा, जिला-पटना।
95. ज्योति कुमार शर्मा पिता दुधेश्वर राय, निवासी ग्राम व पो0-हसनपुर पिपरा, थाना और जिला- अरवल
96. जीतेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- बंदेली बिगहा,पोस्ट -परसादी इंग्लिश, थाना एवं जिला-अरवल
97. ज्ञानदेव कुमार पिता नारायण प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम व पो.-इनाई, थाना-बहेरी, जिला-दरभंगा।
98. मनोज कुमार, पिता स्वर्गीय बाके बिहारी सिंह, निवासी ग्राम व पो0-अदवान, थाना-वजीरगंज, जिला-गया।
99. पीताम्बर कुमार, पिता राजेन्द्र मांझी, निवासी ग्राम-झिरवा, पोस्ट -चुटिया, थाना और जिला- बांका

100. जीतेन्द्र कुमार, पिता नन्द किशोर यादव, निवासी ग्राम-बिहटा, पोस्ट -मंडन, थाना और जिला- शेखपुरा
101. मो. नजामुद्दीन खान पिता मो. अजमल खान,निवासी,गांव व पोस्ट -पलटपुरा, थाना -मानपुर, जिला-नालंदा।
102. स्वर्गीय वालेश्वर सिंह पिता मनोरंजन कुमार,निवासी गांव -सुरमपुर, पोस्ट एवं थाना -सिलाव, जिला-नालंदा।
103. शिव मोहन सिंह, पिता रामाकांत सिंह, निवासी ग्राम-असलान, पोस्ट-बागवां, थाना-गरहनी, जिला-भोजपुर (आरा)।
104. रामजीवन सिंह पिता राजेश कुमार सिंह, ग्राम निवासी- नारायणपुर, पोस्ट -नसरतपुर, थाना -संदेश, जिला-भोजपुर (आरा)।
105 योगेन्द्र प्रसाद यादव पिता अजीत कुमार यादव, निवासी, ग्राम-बाजा, पोस्ट -रामचंद्रपुर इटहरी, थाना -अमरपुर, जिला-बांका।
106 वीरबहादुर सिंह पिता रामबचन सिंह, निवासी ग्राम-लेरूआं, पोस्ट -कंचनपुर, थाना -सासाराम, जिला-रोहतास।
107. राम कुमार उपाध्याय पिता तेज प्रकाश उपाध्याय निवासी,ग्राम व पोस्ट -सदावेह, थाना -दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।
108. पिंटू कुमार, पिता स्वर्गीय अच्युतानंद सिंह, निवासी ग्राम व पो.-शिवकुंड, थाना-धरहरा, जिला-मुंगेर।
109. सुखदेव झा पिता अमरकांत झा, निवासी ग्राम-महुर्रतन, पो0-बरोहनिया, थाना संग्रामपुर, जिला-मुंगेर।
110. संतोष कुमार, पिता रघुवीर यादव, निवासी ग्राम-हसनगुन, पो0- सिफाबाद, थाना -कासिमबगर, जिला-मुंगेर।
111. जयसियाराम यादव पिता अर्जुन यादव, निवासी ग्राम व थाना एवं थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
112. संतोष कुमार सिन्हा, पिता स्वर्गीय बिंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवासी ग्राम-पतिला, पोस्ट -चतरा, थाना -कोपा, जिला-छपरा (सारण)।
113. गांव निवासी राम प्रसाद सिंह पिता महेश प्रसाद सिंह एवं पोस्ट -सुकी, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
114. तारणी मंडल पिता स्व.उपेन्द्र कुमार मंडल ,निवासी लैलख गांव थाना- सबौर, जिला-भागलपुर।
115. गांव निवासी छेदी प्रसाद सिंह पिता कैलाश प्रसाद सिंह हरहथ चक, थाना-गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
116. भूपी यादव पिता जय जयराम कुमार, ग्राम व पो.-मथाही, थाना और जिला-मधुपुरा।

117. ग्राम निवासी देव कुमार तिवारी पिता मिर्तुंजय कुमार तिवारी- वाल्मीकि नगर (गोधना रोड), थाना-नवादा (आरा), जिला- भोजपुर(आरा)।
118. संतोष कुमार, पिता ललन सिंह, निवासी ग्राम- खोरहरा, थाना- रामगढ़, जिला- कैमूर।
119. इंद्रदेव प्रसाद सिंह पिता विनय प्रकाश, निवासी,गांव-कठाटार ,थाना- राजपुर, जिला-बक्सर।
120. सचित कुमार पिता स्वर्गीय श्री कोको प्रसाद यादव -मटियाही, निवासी गांव व थाना और जिला- मधेपुरा।
121. कौशल कुमार राम, पिता श्री युगल राम, निवासी ग्राम-सिरसा,कैम्प, थाना- मुफस्सिल, जिला-कटिहार।
122. नवीन कुमार रजक, पिता रामदेव रजक, निवासी ग्राम-परवता,पोस्ट - साहो पर्वत, थाना - इस्माइलपुर, जिला- भागलपुर।
123. सुशील कुमार मंडल पिता बिष्णुदेव मंडल,निवासी,गांव एवं पोस्ट -सधुआ, थाना -रंगरा ओपी, जिला-भागलपुर।
124. राजेश कुमार पिता शिवनाथ सिंह, निवासी ग्राम व पो0- बभनौल, थाना -दावथ, जिला-रोहतास।
125. संजय कुमार, पिता बचन सिंह, निवासी ग्राम-समाई, थाना- मुफस्सिल नवादा, जिला- नवादा।
126. मनीष कुमार चौधरी पिता महेंद्र चौधरी , निवासी, ग्राम व पोस्ट एवं थाना- खजौली, जिला-मधुबनी।
127. जलंधर पासवान, पिता जमुना पासवान, ग्राम केशोपुर निवासी पोस्ट एवं थाना -तेल्हाड़ा, जिला- नालंदा।
128. मो. करीम आजाद, वल्द मो. ऐनुल हक, निवासी ग्राम-करजा, पोस्ट - उमरावगंज, थाना-बिहिया, जिला-भोजपुर।
129. मो. अकलाख खान, वल्द मो. अकबाल खान, निवासी ग्राम व पो.- अखिनी, थाना-नोअन, जिला-कैमूर (भभुआ)।
130. नंदू पासवान पिता स्व. रामगति राम निवासी गांव -जीना टोला धूस,पोस्ट एण्ड थाना -नासरीगंज, जिला-रोहतास।
131. बीरेंद्र कुमार तिवारी, पिता बीरेंद्र कुमार तिवारी, गांव निवासी- चमरियावां, पोस्ट -मियो, थाना -बेलावां, जिला-कैमूर।
132. राजेश कुमार यादव, पिता रामईश्वर राय, ग्राम निवासी व पो.ए.एन थाना -हेकमा, जिला-छपरा (सारण)।
133. बिनोद कुमार, पिता रामईश्वर मिस्त्री, निवासी ग्राम व पो.-सिकंदरपुर, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।

134. बालेश्वर सिंह पिता अनुज कुमार, निवासी गांव - मोकाम बिगहा पोस्ट -अतियामा, थाना -घोसी, जिला-जहानाबाद ।
135. स्व.जयराम प्रसाद पिता राकेश कुमार पिता - स्व. जयराम, ग्राम निवासी व पो.- कपसियावां, थाना-हिलसा, जिला-नालंदा।
136. उदय कुमार, पिता राधे प्रसाद, निवासी ग्राम संतन बिगहा, पो0- बांसडीह, थाना-थरतरी, जिला-नालंदा।
137. दिनकर कुमार बरियाही गांव निवासी स्व सुधेश्वर यादव बस्ती, पोस्ट-रहुआ मणि, थाना -बनगांव, जिला-सहरसा।
138. राम पदारथ मिश्र पिता स्वर्गीय महेश कांत मिश्र निवासी ग्राम एवं पोस्ट -कंथुडीह, थाना -बहेड़ा, जिला-दरभंगा।
139. पंकज कुमार, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ यादव, निवासी ग्राम व पो.-तुनियाही, थाना और जिला-मधेपुरा।
140. चैतू दास पिता जगदीश कुमार, निवासी ग्राम कसनरैनी, पो0- शोनहान, थाना-केवटी, जिला-दरभंगा।
141. श्री चुन्नी प्रसाद यादव पिता सर्वेश कुमार यादव निवासी ग्राम- गोसाईदासपुर, पो0- चांपभागर। थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।
142. ललन कुमार, पिता स्वर्गीय जयकिशुन यादव, निवासी ग्राम-मधुबन, पोस्ट -खमौती, थाना -सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।
143. महेश्वर मंडल पिता सुरेश मंडल, निवासी ग्राम-उजान, पो.- लोहना रोड, थाना-सकतपुर, जिला-दरभंगा।
144. प्रवीण कुमार राय, पिता उपेन्द्र नाथ राय, निवासी एट एवं पो.- चुन्नी, थाना-बक्सर मुफस्सिल, जिला-बक्सर।
145. सरताज खान, पिता स्वर्गीय हफीज खान, निवासी ग्राम व पो.- उसिया, थाना-दिलदारनगर, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.)।
146. नील कुसुम कुमार, पिता श्रीराम प्रसाद, निवासी ग्राम व पो.- दहिवार, थाना -औद्योगिक बक्सर, जिला-बक्सर।
147. -शोएब खान, पिता शहाबुद्दीन खान, निवासी ग्राम चटकोनी पोस्ट एवं थाना -दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.)।
148. जामवंत सिंह यादव पिता स्वर्गीय सर्वजीत सिंह यादव गांव निवासी स्व-ताजपुर कुर्रा, पोस्ट एण्ड थाना -दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.)।
149. प्रेमचंद्र सिंह, पिता स्व.महेंद्र सिंह, निवासी ग्राम- अदमापुर, पोस्ट -करवन्द्या, थाना -सासाराम, जिला-रोहतास।
150. देवेन्द्र राय पिता प्रमोद कुमार, निवासी ग्राम भिखनपुरा, पो0-भटौलिया, थाना-देसरी, जिला-वैशाली।

151. अमरजीत सिंह यादव पिता गोपाल सिंह यादव निवासी ग्राम व पो. दरौली, थाना-जमानिया, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.)।
152. शेरघाटी सेवंत पासवान पिता सतीश चंद्र निवासी ग्राम चकपर, पोस्ट एवं थाना -शेरघाटी, जिला-गया।
153. रामजीवन राय पिता स्व. बिपिन कुमार निवासी ग्राम दलिश्मन चक पोस्ट एवं थाना -बाढ़, जिला-पटना।
154. राजेश्वर कुमार, पिता पुनदेव प्रसाद, निवासी ग्राम-जयसिंहपुर पोस्ट -खैरिवा, थाना -तुर्कवलिया, जिला-पूर्वी चंपारण।
155. श्री रामजनम सिंह पिता दयाशंकर कुमार सिंह निवासी ग्राम एवं पोस्ट - गंगा पीपर, थाना - चिरैया, जिला- मोतिहारी।
156. श्री देवनंदन प्रसाद पिता अमरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मोजाहिदपुर, पो. एवं थाना -एकंगर सराय, जिला-नालंदा।
157. राम प्रताप चौधरी पिता नरेश कुमार चौधरी निवासी ग्राम और पोस्ट-जंदाहा, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर (भभुआ)।
158. परमात्मा सिंह पिता संतोष कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट -पजरावां, थाना -नुआं, जिला-कैमूर।
159. सुकर पासवान पिता राजू पासवान निवासी ग्राम- भोपतपुर पसौली पोस्ट -पसौली, थाना -दुर्गावती, जिला-कैमूर (भभुआ)।
160. विजय कुमार सिंह, पिता सुखराज सिंह, निवासी ग्राम व पो.- सोंधिला, थाना- मुफस्सिल बक्सर, जिला-बक्सर।
161. पुना रजक पिता शिवजी रजक, निवासी ग्राम भवानी बिगहा, पो0- पुरैनी, थाना-मुफस्सिल नवादा, जिला-नवादा।
162. नारायण प्रसाद साह पिता धर्मेंद्र कुमार साह निवासी ग्राम और पोस्ट एवं थाना-अमरपुर, जिला-बांका।
163. कमलेश कुमार, पिता सत्येन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-बन्धुआ पोस्ट - सोहेपुर, थाना - मुफस्सिल, जिला- गया।
164. श्याम मोहन सिंह, पिता सकलदीप सिंह, निवासी ग्राम व पो.- खरौन कलां, थाना- सहार, जिला- भोजपुर।
165. प्रवीन कुमार, पिता रामाश्रय प्रसाद निवासी- खुदाई टोल बेलदारी, पोस्ट -सोहेपुर, थाना -खिजरसराय, जिला-गया।
166. पंकज कुमार पिता स्वर्गीय श्री श्याम सुन्दर सिंह निवासी ग्राम- बागोबार, पोस्ट एवं थाना -हिसुआ, जिला - नवादा।
167. अरविन्द कुमार शर्मा पिता स्व. गोपाल शर्मा निवासी गांव एवं पोस्ट - नेर, थाना - मकदुमपुर, जिला-जहानाबाद।

168. धनन्जय कुमार, पिता रामबहादुर सिंह, निवासी ग्राम एवं पो0- कपस्या, थाना- परैया, जिला-गया।
169. चुन्नु कुमार सिंह पिता देवेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम -धोधरी, थाना- भरातु, जिला-जहानाबाद।
170. राकेश कुमार, पिता राम विनय शर्मा, निवासी ALAF-6, ब्लॉक-8, हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, संपतचक, पोस्ट -लोहिया नगर, थाना -अगमकुआं, जिला-पटना।
171. मुकेश कुमार यादव पिता- शालीग्राम यादव, निवासी - बेलुटीकर, पो.-जोगडीहा, थाना एवं जिला-बांका।
172. ब्रजेश कुमार सिंह,पिता - बबन सिंह, निवासी ग्राम व पो.- सरेजा, थाना- राजपुर, जिला-बक्सर।
173. सुरेंद्र कुमार सिंह पिता -राम कुमार सिंह, निवासी गाँव नारायणपुर, पोस्ट -नशरतपुर, थाना -संदेश, जिला-भोजपुर (आरा)।
174. रंजन कुमार पिता राजेंद्र सिंह, निवासी ग्राम - डीहा, पो0- बरैनी, थाना- बेलागंज, जिला-गया।
175. शहरुजमा, पिता अब्दुल कुदुस, निवासी ग्राम-कब्रस्थान नगर चनौती, पोस्ट एवं थाना -बारा, जिला-गया।
176. प्रदीप कुमार पिता श्री राम प्रवितर सिंह, निवासी गाँव - एकवाना, पोस्ट एवं थाना -बरहरा, जिला-भोजपुर (आरा)।
177. चंचल कुमार राम, पिता श्री यदु राम, निवासी ग्राम- जयनगरा, थाना - तलियौथू, जिला- रोहतास।
178. संजय कुमार, पिता राजकिशोर सिंह, निवासी गरहा , पोस्ट - असनी, थाना -उदवंत नगर, जिला- भोजपुर.

.... याचिककर्ता /गण

==========

बनाम

1. बिहार राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, बिहार, पटना।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना।
6. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना।
7. पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर।
8. पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर।

9. पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा।

.... प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री वाई.वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता

: सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री एम.डी. . इरशाद, एसी से एससी-1

==========

सेवा कानून--- बिहार पुलिस मैनुअल--- नियम 1186--- संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण---प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिका जिसके तहत अनुबंधित सिपाही ड्राइवरों (यहां याचिकाकर्ताओं) की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें समझौते के अनुसार याचिकाकर्ताओं को एक महीने का नोटिस देने का निर्देश दिया गया था--- याचिका है कि याचिकाकर्ताओं को विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया था और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियोजित किया गया था और इसलिए, उनकी नियुक्ति को अनियमित या पिछले दरवाजे से नियुक्ति नहीं माना जा सकता है---आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग के तहत स्थायी कर्मचारियों के रूप में लगातार 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं हैं--- प्रतिवादियों ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि सिपाही चालकों के पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं 2014 से संशोधित की गई थीं और सिपाही चालकों के पदों को चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी रूप से भरने का निर्णय लिया गया है---यदि संविदा चालकों के पास वर्ष 2014 की बाद की अधिसूचना के अनुसार योग्यताएं नहीं हैं, तो वे चयन परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हैं-- निर्णय: यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि नियुक्ति

का नियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता---वर्ष 2014 में बनाए गए बाद के नियम के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को भर्ती के बाद के नियम के अनुसार अयोग्य नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादियों को वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया। रिट मंजूर की गई। (पैरा 9, 16, 19, 21, 24)

(1983) 3 एसएससी 33, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 640 .....पर भरोसा किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

सी.ए.वी. निर्णय

दिनांक: 16-05-2024

1. याचिकाकर्ता वर्ष 2011 से गृह (पुलिस) विभाग के अधीन कार्यरत संविदा चालक-सिपाही हैं। उन्होंने निम्नलिखित राहत के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की है:-

> *"i) पुलिस महानिदेशक, बिहार के सहायक (कल्याण) के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 106 दिनांक 15.06.2021 वाले आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति में एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसके तहत संविदा चालक, सिपाहियों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और किसी भी स्थिति में 31.07.2021 के बाद उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, साथ ही अनुबंध के खंड-9 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को एक महीने का नोटिस देने का निर्देश दिया गया है । (अनुलग्नक-19)।*
>
> *ii) पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 1353 दिनांक 19.06.2021 वाले आदेश को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति में एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करना, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 60 अर्थात विजय कुमार संविदा चालक संख्या 5499 की सेवाओं को समझौते के खंड 9 के अनुसार दिनांक 19.06.2021 के पत्र प्राप्त होने के एक महीने बाद से समाप्त किया जा रहा है और पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जारी पत्र संख्या 106 दिनांक 15.06.2021 के मद्देनजर अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा अन्य याचिकाकर्ताओं को समन जारी किए गए (अनुलग्नक-20)।*
>
> *iii) परमादेश की प्रकृति के तहत प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करना कि वे उन याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करें जिन्हें प्रतिवादियों के समक्ष दिनांक 12.10.2018 के अभ्यावेदन के आधार पर सिपाही चालक के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16505/2014 में पारित*

दिनांक 06.09.2017 के आदेश में दिए गए निर्देशों के साथ-साथ एलपीए संख्या 1648/2017 में दिनांक 17.04.2018 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में है।

iv) परमादेश की प्रकृति के तहत प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करना कि वे पुलिस विभाग में चालक के रिक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध अपनी सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष तक संविदा पर सिपाही चालक के पद पर बने रहने की अनुमति दें।

v) परमादेश की प्रकृति के तहत प्रतिवादियों को पुलिस महानिदेशक, बिहार के सहायक (कल्याण) के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 106 दिनांक 15.06.2021 वाले आदेश को लागू न करने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करना और मुख्य रिट आवेदन के लंबित रहने तक सिपाही चालक के पद पर बने रहने की अनुमति देना।

vi) कोई अन्य राहत या राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार हैं।"

2. अधिसूचना संख्या 3390, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा बिहार पुलिस में 610 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात, 30 अगस्त, 2010 को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा सिपाही चालक के 610 रिक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। उक्त विज्ञापन में खण्ड 1(ii) में अनिवार्य योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई थी तथा अभ्यर्थियों के पास खण्ड (1)(iii) में निर्धारित विज्ञापन के प्रकाशन से कम से कम दो वर्ष पूर्व जारी भारी मोटर वाहन/हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उक्त विज्ञापन के खण्ड 1 (iv) में गृह (पुलिस) विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी पत्र संख्या 4184, दिनांक 20 मई, 2010 में निर्धारित रोस्टर के अनुसार सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने उक्त पदों के लिए आवेदन किया था और योग्यता के अनुसार उन्हें ग्यारह महीने के लिए संविदा के आधार पर सिपाही चालक के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में 11 महीने के लिए चुना गया था और उनकी नियुक्ति के समय उन्हें गृह (पुलिस) विभाग के साथ एक समझौता करना था।

4. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं की सेवा की संविदा अवधि को गृह (पुलिस) विभाग द्वारा ज्ञापन संख्या 1421, दिनांक 26 अप्रैल 2011; 2480, दिनांक 7 जून, 2013; और बाद में 2021 तक भी।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनमें से कुछ ने अपनी प्रतिनिधि क्षमता में पुलिस महानिदेशक, बिहार और गृह सचिव के समक्ष अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जो उनके मामले पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। हालाँकि, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार राज्य ने महालेखाकार, बिहार को ज्ञापन संख्या 1399, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को एक पत्र जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1185 (ए) के मद्देनजर सिपाही-चालक और हवलदार के अधिक पदों की आवश्यकता है। तदनुसार, सिपाही चालक के 2410 पदों सहित कुल 3031 पद सृजित किए गए। तत्पश्चात दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को गृह (पुलिस) विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1186 में संशोधन किया गया। नियम 1186 (क) (i) (घ) में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत संविदा के आधार पर कार्यरत सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई। इसी संशोधन द्वारा सिपाही चालक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया तथा पूर्व शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास के स्थान पर इंटरमीडिएट पास या समकक्ष योग्यता कर दी गई। उक्त ज्ञापन के आधार पर दक्षता परीक्षा आदि से संबंधित कुछ अन्य संशोधन भी किए गए, लेकिन उक्त संशोधन हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

6. यह भी कहा गया है कि पुलिस संगठन में संविदा के आधार पर नियुक्त ड्राइवरों को अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष दो अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जो अधिकतम पांच अंकों के वेटेज के अधीन होंगे। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि गृह (पुलिस) विभाग ने 15 जुलाई, 2011 को मेमो संख्या 5344 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बिहार पुलिस मैनुअल के प्रावधान, विशेष रूप से नियम 1186 (का) में संशोधन करते हुए निचली और ऊपरी आयु सीमा तय की गई, जो 31 दिसंबर, 2015 तक प्रभावी मानी गई। इसमें 10 वीं पास या समकक्ष के रूप में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 21

अप्रैल, 2014 के मेमो संख्या 233 के अनुसार संशोधित शैक्षणिक योग्यता याचिकाकर्ताओं के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं की जा सकती। प्रतिवादियों को पुलिस विभाग में सिपाही चालक की नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्धारित योग्यता के आधार पर वर्ष 2014 से पूर्व विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति करनी चाहिए थी। इंटरमीडिएट पास या समकक्ष की संशोधित शैक्षणिक योग्यता बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1186 में संशोधन की तिथि से भावी रूप से लागू की जाए।

7. उक्त अधिसूचना से व्यथित होकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध चयन बोर्ड का गठन करके सिपाही चालक के पद पर उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16505/2014 के तहत रिट याचिका दायर की। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने रिट कोर्ट द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे एलपीए संख्या 1648/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया था और उक्त अपील को भी खारिज कर दिया गया था। हालांकि, रिट याचिका को खारिज करते हुए रिट कोर्ट ने रिट याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण के लिए प्रतिवादियों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी और इसे राज्य प्रतिवादी द्वारा कानून के अनुसार विचार के लिए खुला छोड़ दिया था। रिट कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता के अनुपालन में, उन्होंने सिपाही चालक के पद के नियमितीकरण के लिए 12 अक्टूबर, 2018 को गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर किया। प्रतिवादी प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उक्त अभ्यावेदन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। इस बीच, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 29 दिसंबर, 2017 को एक पत्र के माध्यम से 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि 9 अक्टूबर, 2018 को गृह (पुलिस) विभाग के अतिरिक्त सचिव ने नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग के उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के समक्ष ज्ञापन संख्या 8840 के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता 2011 से सिपाही चालक के पद पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद, विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश पर, याचिकाकर्ताओं के मामले को भी लिया गया और इसे अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए निपटाया गया कि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिस पर समिति ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं के संबंध में

कोई सिफारिश नहीं की। हालांकि, उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि बाद की चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड बदल दिए गए थे और यह बात उच्च स्तरीय समिति के संज्ञान में नहीं लाई गई कि शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड में बदलाव के कारण याचिकाकर्ता स्वतः ही चयन परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। जबकि याचिकाकर्ताओं को नियमित होने से वंचित कर दिया गया था, उनकी सेवा को 5 फरवरी, 2019 के ज्ञापन संख्या 1181 के साथ 1 जुलाई, 2018 से सिपाही चालक के पद पर नियमित नियुक्ति पूरी होने तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, आईजी, बजट/अपील/कल्याण के कार्यालय से दिनांक 15 जून, 2021 को एक ज्ञापन संख्या 106 जारी किया गया, जिसके तहत 31 जुलाई, 2021 से संविदा चालक/सिपाही की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कुछ याचिकाकर्ताओं को सेवा समाप्ति पत्र दिए गए। इसलिए, तत्काल रिट।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उन 610 सिपाही चालकों में शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा 30 जुलाई, 2010 को जारी ज्ञापन संख्या 3390 द्वारा तैयार नियम के आधार पर नियुक्त किया गया था। नियम में सिपाही चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं। उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए, चयन परीक्षा में शामिल हुए और संविदा के आधार पर रोजगार के लिए चयनित हुए। वे वर्ष 2011 से 2021 तक या आज तक गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लगातार काम कर रहे हैं।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए नौकरी मिली है और इसलिए उनकी नियुक्ति को अनियमित या पिछले दरवाजे से नियुक्ति नहीं माना जा सकता। वे पुलिस विभाग में 10 साल से अधिक समय से लगातार काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति की तिथि पर उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं थीं। उन्होंने पुलिस विभाग में स्थायी कर्मचारी के रूप में काम किया और उनकी नियुक्ति को अनियमित, आकस्मिक या पिछले दरवाजे से नियुक्ति नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, उन्हें विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया था। इसलिए, ***सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य, उमा देवी (3) और अन्य, (2006) 4 एसएससी 1 में*** रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से लागू है। उमा देवी (3) (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ विधिवत स्वीकृत रिक्त पद पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) की गई हों और कर्मचारी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करते रहे हों। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर **उमा देवी** (सुप्रा) के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

10. याचिकाकर्ताओं को 30 जुलाई, 2010 को पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा विधिवत तैयार नियमों के आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियां नहीं माना जा सकता है।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ***नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2018) 8 एसएससी 238 में*** रिपोर्ट किए गए, जिसमें ***उमा देवी (3)*** (सुप्रा) पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

12. ***शिव नारायण नागर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 13 एसएससी 432 में*** रिपोर्ट किया गया, अपीलार्थी, जिनकी सेवाएं उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 के आदेश के तहत दर्ज निष्कर्षों के मद्देनजर वर्ष 2014 में समाप्त कर दी गई थीं, नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ताओं के मामले से निपटने के दौरान कि उनकी नियुक्तियां अवैध थीं और अनियमित नहीं थीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और ***उमा देवी (3)*** (सुप्रा) में निर्णय पर उचित विचार करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया:-

> *"8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए वर्ष 1999 में एक निर्देश जारी किया गया था। हालाँकि, नियमितीकरण नहीं किया गया था। प्रतिवादियों ने वर्ष 2000 में नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने का विकल्प चुना और एक आदेश पारित करके अपीलकर्ताओं को वर्ष 2006 में अस्थायी दर्जा भी प्रदान किया गया, जो 2-10-2002 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है। चूंकि प्रतिवादियों ने स्वयं कर्मचारियों को अस्थायी दर्जा देने का विकल्प चुना है, इसलिए काम पर आवश्यकता*

थी और आदेश पारित किए जाने के समय विशेष समय पर पद भी उपलब्ध थे। इस प्रकार, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि पद उपलब्ध नहीं थे, उनकी अपनी कार्रवाई से झूठा साबित होता है। जाहिर है, अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई लंबी अवधि की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया था, जो शोषणकारी शर्तों पर ली गई थीं।

9. उच्च न्यायालय ने उमादेवी (3) [कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3), (2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 753] में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट आवेदन को खारिज कर दिया। लेकिन अपीलकर्ता मूल रूप से वर्ष 1993 में कार्यरत थे; उन्होंने तीन साल तक सेवा की थी, जब उन्हें अनुबंध के आधार पर सेवा की पेशकश की गई थी; यह पिछले दरवाजे से प्रवेश का मामला नहीं था; और इस तरह की नियुक्ति की पेशकश करने के लिए कोई नियम नहीं थे। इस प्रकार, नियुक्ति को अवैध और नियमों के उल्लंघन में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रासंगिक समय पर ऐसे कोई नियम उपलब्ध नहीं थे, जब उन्हें 2-10-2002 से अस्थायी दर्जा दिया गया था। अपीलकर्ताओं को एक बारगी उपाय के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक था, जैसा कि उमादेवी (3) [कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3), (2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 753] के पैरा 53 में निर्धारित किया गया है। चूंकि अपीलकर्ताओं ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और प्रतिवादियों द्वारा 2-10-2002 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अस्थायी स्थिति दी गई है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं की सेवाओं को उक्त तिथि यानी 2-10-2002 से नियमित किया जाए, परिणामी लाभ और वेतन का बकाया भी आज से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को भुगतान किया जाए।

10. विवादित निर्णय और आदेश [शिव नारायण नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16492] और साथ ही सेवाओं को समाप्त करने का

आदेश भी रद्द किया जाता है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

13. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने ***सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16505/2014, हीरामन यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, दिनांक 6 सितम्बर, 2017*** में पारित इसी प्रकार के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

*"**10.** यह भी स्पष्ट है कि सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं निर्धारित करने वाला संशोधन वर्ष 2014 में लाया गया था और उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 1 के तहत जारी किया गया था। 2016. सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद, विभाग को उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यता के संबंध में योग्यता में कोई सुधार या परिवर्तन करने की कानूनी अनुमति नहीं है, लेकिन, नियुक्ति के लिए किसी भी विज्ञापन के जारी होने से पहले सरकार किसी भी विज्ञापन के अनुसरण में भरे जाने वाले किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में नियम को बदल या संशोधित कर सकती है। वाई.वी. रंगैया एवं अन्य (ए.आई.आर. 1983 एस.सी., 852) (सुप्रा) में मामले का तथ्य यह था कि आंध्र प्रदेश पंजीकरण एवं अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम 5 को वर्ष 1977 में संशोधन किया गया था, जो उप-पंजीयक, ग्रेड II के पद पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति से संबंधित था, और यह माना गया कि संशोधन वर्ष 1977 में लाया गया था, इसलिए 1977 के संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों के संबंध में पदोन्नति पुराने नियमों से भरी जाएगी। उक्त नियम पंजीकरण विभाग में नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति से संबंधित हैं, न कि उस पद पर नई नियुक्ति से संबंधित, जैसा कि माया मैथ्यू (2010) 4 एस.सी.सी., 498 (सुप्रा) के मामले में था, जो कि विभिन्न स्रोतों से कैडर में नियुक्ति के संबंध में भी था और मामले के तथ्य भी*

बिल्कुल अलग हैं। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2012) XIII S.C.C., 320 (सुप्रा) के मामले में, यह पदोन्नत व्यक्तियों की तुलना में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता की घोषणा से संबंधित है और मामले का अनुपात भी याचिकाकर्ताओं के मामले में सहायक नहीं है।

14. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम मैंगलोर विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ एवं अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 फरवरी, 2002 को दिए गए अप्रकाशित निर्णय का भी उल्लेख किया है।

15. उक्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर मुझे लगता है कि उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत बिल्कुल भी लागू नहीं होता ।

16. प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सिपाही चालकों के पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं वर्ष 2014 से संशोधित की गई थीं । उक्त नियमों में संशोधन के पश्चात रिक्तियां घोषित की गई तथा सिपाही चालकों के पदों को चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी रूप से भरने का निर्णय लिया गया। यदि संविदा चालकों के पास वर्ष 2014 की अधिसूचना के अनुसार योग्यताएं नहीं हैं, तो वे चयन परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हैं।

17. इस स्तर पर, इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या भर्ती नियम के तहत नियुक्त व्यक्ति को बाद में संशोधित भर्ती नियम के अधीन किया जा सकता है, जिसके तहत उसे शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं में बाद में परिवर्तन के कारण चयन परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है।

18. वर्ष 2011 के दौरान, बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1186 में सिपाही चालक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या समकक्ष निर्धारित की गई थी और नियम 1186 में वर्णित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के आधार पर 610 स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्त चालकों को परिशिष्ट 88 के खंड (3) के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया था। उनमें से कुछ ने वज्रवाहन के नाम और शैली के तहत चालकों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया।

19. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि नियुक्ति का नियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है।

20. ***ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक एवं अन्य, (1983) 3 एसएससी 33*** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 5 में माना गया है:-

> *"5. ..... यह सच है कि विधायिका मान्यता प्राप्त संवैधानिक सीमाओं के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव वाले कानून पारित कर सकती है। लेकिन यह भी समान रूप से स्थापित है कि किसी भी वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को नुकसान पहुंचे या उससे वंचित किया जा सके, जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा यह निर्देश न दे कि इसका ऐसा पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए।"*

21. वर्तमान मामले में, पुलिस मैनुअल में सिपाही चालक की शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई थी। नियम में बताई गई ऐसी शैक्षणिक योग्यता के साथ याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। अब, वर्ष 2014 में बनाए गए एक के नियम के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को भर्ती के बाद के नियम के अनुसार अयोग्य नहीं कहा जा सकता है।

22. श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्य बनाम डॉ. मनु और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय, ***2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 640*** में रिपोर्ट की गई, इस संबंध में भी भरोसा किया जा सकता है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 जनवरी, 2024 के निर्णय, ***विनोद कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, सिविल अपील संख्या- 2024, एसएलपी (सी) संख्या 22241- 42 ऑफ 2016*** को आगे बढ़ाते हुए, मुद्दे के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए नीचे उद्धृत किया गया है: -

> *"4. अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय से यह तर्क देते हुए आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने उनके कर्तव्यों की मूल प्रकृति को पहचानने में विफल होकर अपने निर्णय में गलती की है, जो कि अस्थायी या योजना-आधारित भूमिकाओं के बजाय नियमित रोजगार के साथ संरेखित है, जिसके लिए उन्हें मूल रूप से नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, नियमित रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी पदोन्नति, उनके द्वारा की गई चयन प्रक्रिया और एक चौथाई सदी से अधिक समय तक उनकी सेवा की निरंतर प्रकृति ने नियमितीकरण के लिए उनके तर्क को रेखांकित किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने उमा देवी (सुप्रा) के*

मामले के सिद्धांतों को उनकी स्थिति पर गलत तरीके से लागू किया है।

5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय मानता है कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जब रोजगार का वास्तविक पाठ्यक्रम समय के साथ काफी विकसित हो चुका है। अपीलकर्ताओं की नियमित कर्मचारियों की हैसियत से निरंतर सेवा, स्थायी पदों से अलग कर्तव्यों का पालन करना और नियमित भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक मौलिक प्रस्थान है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की पदोन्नति प्रक्रिया विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संचालित और देखरेख की गई थी और उनकी भूमिकाओं की अस्थायी प्रकृति के किसी भी संकेत के बिना 25 साल से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा या ऐसी अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट की गई थी, जो उनकी रोजगार स्थिति पर पुनर्विचार करने योग्य है।

6. उमा देवी (सुप्रा) में दिए गए फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा लागू करना, उन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, जिनके तहत अपीलकर्ता कार्यरत थे और अपनी सेवा जारी रखी है, तथ्यों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। शुरू में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर निर्भरता का उपयोग निरंतर सेवा के माध्यम से काफी अवधि में अर्जित किए गए मूल अधिकारों को हमेशा के लिए नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है। उनकी पदोन्नति रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना और उसके बाद एक परिपत्र के आधार पर हुई थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार वाली चयन प्रक्रिया हुई, जो उनके मामले को उमा देवी (सुप्रा) के मामले में चर्चा की गई पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों से अलग करती है।

7. उमा देवी (सुप्रा) मामले में दिए गए फैसले में भी "अनियमित" और "अवैध" नियुक्तियों के बीच अंतर किया गया है, जिसमें कुछ नियुक्तियों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित किया गया है, भले ही वे निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से नहीं की गई हों, अगर उनमें नियमित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं जैसे कि वर्तमान मामले में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार

आयोजित करने का पालन किया गया हो तो उन्हें अवैध रूप से किया गया नहीं कहा जा सकता है। उमा देवी (सुप्रा) मामले का पैराग्राफ 53 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि एस.वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128: एआईआर 1967 एससी 1071], आर.एन. नंजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409: (1972) 2 एससीआर 799] और बी.एन. नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507: 1980 एससीसी (एलएंडएस) 4: (1979) 3 एससीआर 937] और ऊपर पैरा 15 में संदर्भित, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती थी और कर्मचारियों ने अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा है। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित मामलों में तय किए गए सिद्धांतों और इस निर्णय के प्रकाश में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके तंत्रों को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को एक बार के उपाय के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, उन मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी अब नियोजित किए जा रहे हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई पहले से ही नियमितीकरण किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो इस फैसले के आधार पर इसे फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को और अधिक दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए।

8. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के मद्देनजर, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं की दलीलों में योग्यता पाता है और मानता है कि समय के साथ विकसित हुई उनकी सेवा शर्तें अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की गारंटी देती हैं। उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और रोजगार नियमों के पीछे की मंशा के सिद्धांतों के विपरीत है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

24. प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 6 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करें, जिन्हें वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जो कि उपरोक्त अवलोकन के आलोक में 12 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी है।

25. सहायक (कल्याण) पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 106, दिनांक 15 जून 2021 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(बिबेक चौधरी, न्यायाधीश)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।